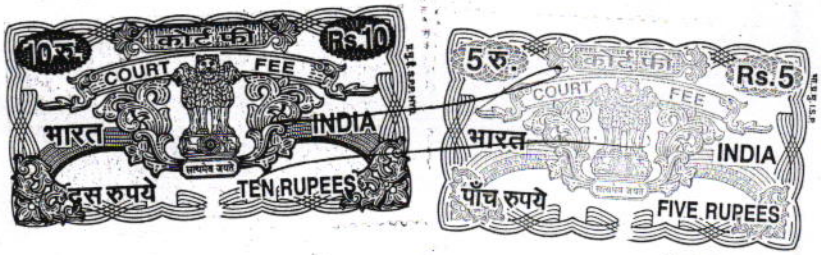

91

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2013पुर्नविलोकन – 2980-II/13

दिनांक 1-8-2013 को श्री दिलीप ~~[illegible]~~ अभि० द्वारा प्रस्तुत / 1-8-13 ASO

महराज सिंह तनय धरम सिंह

बेरखेड़ी मड़िया तहसील व जिला सागर

..........प्रार्थी / आवेदक

बनाम

1. श्रीमती नन्दरानी बेबा सूरत सिंह
2. श्रीमती अशोक रानी बेबा देवी सिंह
3. मुन्ना बल्द सूरज सिंह

निवासी–बेरखेड़ी मड़िया तहसील व

जिला सागर ....*अनावेदकगण*

आवेदन पत्र ..../ पुर्नविलोकन अंतर्गत धारा 51 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

श्रीमान सदस्य राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.04.2013 प्रकरण क्रमांक विविध 580(2) /2012 महाराज सिंह बनाम नन्दरानी आदि से परिवेदित होकर निम्नलिखित विधि एवं तथ्यों पर पुर्नविलोकन प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यहकि, आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण प्रस्तुत किया था जो प्रकरण क्रमाक आर 739 (2) /2013 पर दर्ज था।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 2980–दो/13 जिला –सागर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15.03.2016	आवेदक की ओर से श्री दिलीप कुमार पासी अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन– पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक रेस्टो0 580–दो/2013 आदेश दिनांक 17.4.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 2980–दो/2013 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । आवेदक की ओर से पुनरवलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक रेस्टो0 580–दो/2012 में वर्णित हैं । जिनका निराकरण आदेश दिनांक 17.4.2013 से किया जा चुका है । रिव्यु प्र0 क0 2980–दो/2013 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :–	

रिव्यू-2980 II/13 भाग

1– नई एवं महत्वपूर्ण बात /साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था , सम्यक तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी ।

2–अभिलेख से प्रकट कोई भूल /गलती ।

3– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों ।

सदस्य